



सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 जनवरी, 2004 ई0
पौष 29, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 502/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 19 जनवरी, 2004

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 को दिनांक 16-01-2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 30, सन 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2003}

(उत्तराखण्ड राज्य में लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण हेतु अधिनियम, 2003)

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत अधिनियम किया गया;

चूंकि, लोकहित में यह आवश्यक हो गया है कि लोक सम्पत्ति को विरूपित करने पर रोक लगायी जाये और उससे सम्बन्धित मामलों हेतु आनुषांगिक विषय के लिये

अधिनियम

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
1. (1) यह अधिनियम उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर नियत करें।
- परिभाषाएं
2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में—
(क) "जिलाधिकारी" का तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से है,
(ख) "विरूपण" में लोक सम्पत्ति के रूप एवं सुन्दरता को हानि पहुंचाना अथवा हस्तक्षेप, क्षति पहुंचाना, विद्रुषण, बिगाड़ना अथवा किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाना सम्मिलित है तथा "विरूपण" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।
(ग) "लोक सम्पत्ति" में कोई भवन, झोपडी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़ या खम्भा, अथवा कोई अन्य निर्माण सम्मिलित होगा।
(घ) "लेख" में सजावट, अक्षरांकन, अलंकरण आदि सम्मिलित हैं।
- लोक सम्पत्ति विरूपण के लिये दण्ड
3. (1) रोशनाई, खड़िया मिट्टी, रंग पेंट अथवा किसी अन्य पदार्थ से लोक सम्पत्ति का विरूपण, जिसमें विज्ञापन पत्रों को चस्पा करना भी सम्मिलित है, करने वाले व्यक्ति को (ऐसी सम्पत्ति के मालिक अथवा अधिभोगी को छोड़कर जो उस पर अपना नाम व पता इंगित करता है) एक वर्ष तक कारावास अथवा रूपया दस हजार तक जुर्माना अथवा दोनों दण्डों से दण्डित किया जा सकेगा।
(2) यदि अपराध उपधारा (1) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी या अन्य निगमित संस्था या व्यक्तियों के संगम (निगमित अथवा अनिगमित) के हित के लिये किया गया है तो ऐसा अन्य व्यक्ति तथा किसी अन्य कार्यालय का प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित व्यक्ति जब तक यह सिद्ध नहीं करता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति से नहीं हुआ है तब तक वह ऐसे अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा।
- अपराध का संज्ञेय माना जाना
4. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय अपराध होगा।
- जिलाधिकारी को लेख इत्यादि को हटाने की शक्ति
5. धारा 3 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिलाधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिये सक्षम होगा, जो लोक सम्पत्ति से किसी लेख को मिटाने, विरूपण को ठीक किये जाने या चिन्ह को हटाने के लिये आवश्यक हों।

नियम बनाने की शक्ति

6.

राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिये शुल्क विहित किये जाने वाले नियम भी सम्मिलित हैं।

अन्य विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना

7.

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

THE UTTARAKHAND PREVENTION OF DEFACEMENT OF PUBLIC PROPERTY ACT, 2003
[Uttarakhand Act No. 30 of 2003]

to provide for the prevention of the Defacement of Public Property in the State of Uttarakhand

AN
ACT

Whereas, it is expedient in the public interest to provide for the prevention of defacement of public property and for matters connected therewith or incidental thereto;

It is hereby, enacted in the fifty-fourth year of the Republic of India by the Assembly of Uttarakhand as follows:--

- | | | |
|-----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short title, extent and commencement | 1. | (1) This Act may be called The Uttarakhand Prevention of Defacement of Public property Act, 2003.
(2) It extends to the whole of State of Uttarakhand.
(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Gazette appoint. |
| Definitions | 2. | In this Act, unless the context otherwise requires---
(a) "District Magistrate" means District Magistrate of the respective districts of the State of Uttarakhand.
(b) "Defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly;
(c) "Public Property" includes any building, hut, structure, wall, tree, fence, post, pole or any other erection;
(d) "Writing" includes decoration, lettering, ornamentation etc. |
| Penalty for defacement of public property | 3. | (1) Whoever, defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material including pasting of posters except for the purpose of indication the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.
(2) Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), then such other person and every President, Chairman, Director, partner, manager, Secretary, Agent of any other office or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence. |
| Offence to be cognizable | 4. | An offence punishable under this Act shall be cognizable. |
| Power of District Magistrate to erase writing, etc. | 5. | Without prejudice to the provisions of section 3, it shall be competent for the District magistrate to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any public property. |

- Power to make rules 6. The State Government may by notification in the Gazette make rules or carrying out the purpose of this Act, including any rules prescribing fees in respect of any proceeding under this Act.
- Act to override other laws 7. The provisions of the Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.
-